संख्या-57 /2022/584/पाँच-9-2022

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- **महानिदेशक,** परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- **मिशन निदेशक,** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 30 मई, 2022**

विषय:-शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने हेतु हौसला साझीदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निर्गत शासनादेश में संशोधन विषयक।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि वर्तमान में परिवार कल्याण कार्यक्रम में प्राईवेट सेक्टर की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-143/पाँच-9-2015-9(127)/12, दिनांक 27 जनवरी, 2015 एवं शासनादेश संख्या-42/2015/1167/पाँच-9-2015-9(127)/12, दिनांक 01 सितम्बर, 2015 के माध्यम से प्रदत्त दिशा-निर्देशों के क्रम में हौसला साझीदारी कार्यकम का संचालन किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम में हौसला साझीदारी कार्यक्रम से सम्बद्ध निजी चिकित्सालयों द्वारा परिवार नियोजन सेवाओं की आवश्यकता जनहित में बढ़ाने एवं भुगतान से सम्बन्धित प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने हेतु उपरिसंदर्भित शासनादेशों में सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार यथावश्यक संशोधन किया जा रहा है:-

1. राज्य स्तरीय स्टेट टास्क फोर्स में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को स्टेट टास्क फोर्स का पदेन अध्यक्ष तथा सिफ्सा सदस्य सचिव के रूप में रहेगा।
2. परिवार नियोजन (नसबंदी एवं आई0यू0सी0डी0) के लाभार्थियों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का भुगतान प्रक्रिया/संशोधन:-

- निजी चिकित्सालय में होने वाले परिवार नियोजन के लाभार्थी (नसबंदी एवं आई0यू0सी0डी0) का भुगतान मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर के किया जाना है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्राइवेट क्लीनिक में होने वाले परिवार नियोजन के लाभार्थी का भुगतान किया जाना है। अतः इसका सत्यापन (भौतिक एवं टेलीफोनिक) पी0एस0पी0 सेल एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाना है।

- उपरोक्त गतिविधि हेतु हौसला साझीदारी पोर्टल पर अपेक्षित बदलाव किया जाना है। निजी चिकित्सालयों में होने वाले परिवार नियोजन के लाभार्थी (नसबंदी एवं आई0यू0सी0डी0) के समस्त दस्तावेजो को सम्बन्धित निजी चिकित्सालयों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखना होगा एवं लाभार्थी से सम्बन्धित सहमति प्रपत्र (कान्सेन्ट फार्म-नसबंदी सेवा) की मुल प्रति की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।
- वर्तमान में 10 प्रतिशत रैण्डम सत्यापन मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर पर किया जाता है। मुख्य चिकित्साधिकारी से सत्यापन के अलावा पी0एस0पी0 सेल द्वारा भी रैण्डम सत्यापन टेलीफोनिक/भैतिक माध्यम से किया जायेगा एवं पी0एस0पी सेल द्वारा सत्यापन के आधार पर लाभार्थी का विवरण पोर्टल के माध्यम से मुख्य चिकित्साधिकारी को उपलब्ध हो जायेगा। तत्पश्चात जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से लाभार्थी को भुगतान किया जायेगा। चूँकि, लाभार्थी को पी0एफ0एम0एस0 द्वारा भुगतान हेतु सहमति प्रपत्र (कान्सेन्ट फार्म-नसबंदी सेवा) की मूल प्रति वांछित होती है, अतः पोर्टल पर लाभार्थी के सहमति पत्र को अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही पी0एस0पी0 सेल द्वारा सत्यापन के उपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर पर पी0एफ0एम0एस0 के अनुसार विवरण एवं सहमति पत्र प्रिंट करने की सुविधा होगी, ताकि वाऊचर में लगाया जा सके। लाभार्थियों के भुगतान के उपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा लाभान्वित लाभार्थियों की सूचना पोर्टल पर अद्यतन किया जायेगा।

3- हौसला साझीदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत निजी चिकित्सालयों के भुगतान की प्रक्रिया/संशोधन-जनपद स्तर से लाभार्थियों के भुगतान के उपरान्त राज्य स्तर द्वारा सम्बन्धित निजी चिकित्सालय को सेवा शुल्क निजी सेवा प्रदाता द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा।

4- इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-143/पाँच-9-2015-9(127)/12, दिनांक 27 जनवरी, 2015 एवं शासनादेश संख्या-42/2015/1167/पाँच-9-2015-9(127)/12, दिनांक 01 सितम्बर, 2015 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनदेश में योजना से सम्बन्धित शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार संशोधित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

Signed by अमित मोहन
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।
Date: 26-05-2022 17:28:02
Reason: Approved

<u>संख्या-57 /2022/584(1)/पॉच-9-2022, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 - महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2 - समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3 - अधिशासी निदेशक, सिफ्सा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4 - समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5 - समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6 - समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7 - प्रभारी कम्प्यूटर सेल।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by वेद प्रकाश शर्मा
Date: 27-05-2022 12:05:29
Reason: Approved

(वेद प्रकाश शर्मा)
विशेष सचिव